राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
47/2015	21.05.2015	27.02.2018

अनुवान

बस्तीराम बनाम किशनलाल वगैरा

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट व आदेश नियम 01 व 02 दफा 151 जा0दी0

उपस्थितिः– 1. श्री सुरेन्द्र सिंह वकील–प्रार्थी

2. श्री बस्तीराम यादव वकील – अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 09 व 17 की ओर से

निर्णय दिनांक :– 27.02.2018

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर में स्थित आ0ख0नं0 42/0.17, 43/0.16, 44/1.16, 204/1.12, 205/1.08, 202/0.12, 203/0.18, 198/0.05, 199/0.10, 200/0.08, 201/0.04, 196/1.05, 197/1.04, 184/0.13, 185/1.13, 183/1.02, 186/0.60, 194/1.11, 195/1.01, 187/0.19, 182/1.02, 572/1.17, 1681/0.17, 1682/0.10, 1715/0.18, 1716/0.18, 1808/0.17, 1793/0.17, 619/0.05, 634/2.04 बीघा मिन प्रार्थीगगण की 1/2 भाग कब्जाकाश्त खातेदारी की पैतृक दादालाई भूमि है। विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण के पिता व नाना सगरू व मूलीया पुत्रान रामधन की संभाग 1/2 भाग की भूमि थी। जो प्रार्थीगण पैतृक भूमि है तथा साबिक खसरा नम्बरान किता 23 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 भाग के मालिक खातेदारान मिन प्रार्थीगण के पिता व चाचा व नाना मृतक सगरू, मूलीया पुत्रान रामधन संभाग 1/2 भाग के खातेदारान काबिज आराजी थे। मृतक सगरू व मूलीया को विवादित आराजी दादा रामधन से प्राप्त हुई थी। मृतक रामधन का इन्तकाल सं. 99 दिनांक 09.02.1922 विधिवत सगरू व मूलीया के नाम बहिस्से बराबर दर्ज व स्वीकार हुआ था व उनके नाम का अंकन साबिक जमाबन्दी संवत 1999 में किता 24 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा के 1/2 भाग पर आया हुआ है व इसी कदर साबिक जमाबन्दीयात संवत 2011 से 2014 में मृतक सगरू व मूलीया के नाम अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

साबिक जमाबन्दी संवत 2015 से 19 में भी अंकन निस्फ भाग पर दर्ज किया हुआ है व खसरा गिरदावरी संवत 2008 लगा0 11 व 12 लगा0 13 में भी पिता सगरू व मूलीया के नाम की काश्त अंकित है। विवादित आराजी का 1/2 भाग मिन प्रार्थीगण की दादालाई आराजी रही है। जिसके बिश्वेदार दादा रामधन था। जिसके फौत होने पर सगरू व मूलीया के नाम संभाग में विरासत इन्तकाल दर्ज होने व मूलीया लावल्द बिला औरत फौत हुआ। जो अपने भाई सगरू के साथ ही रहता था। जिसका हक हिस्सा मृतक सगरू को ही प्राप्त हुआ। मृतक सगरू व मूलीया ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी किसी भी प्रकार रहन बैय, मुन्तकिल और न ही अप्रार्थीगण के पूर्वजों को बटाई पर दिया। अज्ञानता व अनपढ का नाजायज का फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण के बुजुर्गो ने वक्त सैटलमेन्ट संवत 2029 से विवादित आराजी पर अपने नाम का गलत व निराधार अंकन करा लिया। जबकि उपरोक्त तमाम हाल आराजीयात पर प्रार्थी के पिता सगय व मूलीया के पिता के 1/2 भाग के निस्फ भाग का खातेदारी का अंकन होना था। ख0नं0 1793, 1808 पर प्रार्थीगण सगरू व मूलीया के नाम का अंकन निस्फ भाग के बजाय 1/4 भाग अंकित किया हुआ है। इस प्रकार मिसल हकीयत 2029 से ताहाल हकूक वादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध बातिल व बेअसर (नल एण्ड वॉईड) है हजफ करने योग्य है। प्रार्थीगण व उनके पिता आराजी ग्राम पलावा पर काबिज रहे है किन्तु कुछ समय से अपने रिहायश ग्राम सियाखोह तह0 मुण्डावर में की हुई है। अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज की आड में बाला बाला दीगर जगह मुन्तकिल करने पर तुले हुए है। विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द मुन्तकिल कर दिया तो अजहद हानि होगी। स्टेटस को कायम रखना असंभव हो जायेगा। अतः प्रार्थीण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाबन्द कराने के अधिकारी है। सुविधा का संतुलन बैलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स बहक प्रार्थीगण है। प्रस्तुत करते हुये विविादत आराजी का दौराने वाद मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति कायम रखे जाने का निवेदन रहा।

मूल दावा के साथ–साथ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी सं. 01 लगा0 09 व 17 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रार्थीगण के पक्ष में प्राईमाफेसीकेस आयद नहीं होना अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र के समस्त बिन्दूओं को अस्वीकार किया है एवं जिमन नं0 09 अनुसार जवाब में अंकित किया है कि उक्त जिमन गलत है कि वादीगण पलावा की आराजीयात पर काबिज हो ये कहना सही है कि वादीगण सियाखोह में रहते है वादीगण गैर काबिज है **प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है खारीज किये जाने का निवेदन करते हुय विशेष कथन में निवेदन किया है कि**

1–वादीगण ने दावा व प्रार्थना पत्र बिना कब्जा के प्रस्तुत किया है। वादीगण गैर काबिज है वो इश्तरारहक दावा प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते।

2– वादीगण रीब 70 साल बाद दावा दायर किया है जो मुताबिक कानूनन चलने योग्य नहीं है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

3– मुताबिक कानूनन खातेदार ही दावा ला सकता है वादीगण खातेदार नहीं है।

4– वादीगण गैर काबिज है इसलिए कोई डिक्री हु0ई0दवामी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

5– प्रातिवादीगण संवत 2012 से पूर्व से ही विवादित आराजीयात पर काबिज है तथा टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पश्चात खातेदार हो गये है।

6– वादीगण ने कभी भी विवादित आराजी को काश्त नहीं किया वो ग्राम सियाखोह में रहते है पलावा की आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

7– वादीगण का ना तो टाईटल ना ही कब्जा इसलिए भी वादपत्र/प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

8– वादीगण ने सैटलमेन्ट विभाग को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया।

9– धारा 63 टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक उनके अधिकार नहीं बनते है।

10– सजरा पेश किया गया है।

11– मुताबिक सजरा रामप्रताप ने गोदनामा 05.04.1961 को कराया है उसको बिना केन्सिल कराया वादीगण कोई रिलीफ प्रापत करने के अधिकारी नहीं है।

12– मुताबिक कानूनन खातेदार खिलाफ दावा पोषणीय नहीं है के बाबत का अप्रार्थीगण ने निवेदन करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारीज करने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई दौराने बहस वकील ने प्रार्थना पत्र के जिमनो को दौहराते हुये मुताबिक इन्तकाल सं0 99 के माध्यम से भी विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा जाहिर करते हुये गलत इन्द्राज की आड में खुर्द–बुर्द, मुन्तकिल कर दिये जाने की स्थिति में अजहद हानि होना कीमत रूप्यो में आंकी जाना संभव नहीं होना स्टेटस को कायम रखना असंभव हो जाना स्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण पाबनद कराने के अधिकारी होना एवं हु0ई0 चन्दरोजा प्राप्त करने कें अधिकारी होने का निवेदन करते हुए सुविधा का संतुलन बहक प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुये विवादित आराजी में रामपत, लायकराम व अन्य प्रतिवादी राज0का0अधि0 के लागू होने से पूर्व से बिश्वेदारी उन्मूलन के दिन काबिज खातेदार है। प्रार्थीगण की कोई दादालाई भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में कानूनन खातेदार के खिलाफ दावा व प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होनेकी स्थिति में अपने जवाब प्रार्थना में अंकित विशेष कथन के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज करने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी
(अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने पर यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि

1– विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का 70 साल से कब्जा ही नहीं होने की स्थिति में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण का न होकर अप्रार्थीगण के हक में पाया जाता है।

2– जब प्रथम दृष्टया केस का बिन्दू ही प्रार्थीगण के हक में साबित न होकर अप्रार्थीगण के हक में स्पष्टतःसाबित है तो ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

3– प्राथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन के दोनो बिन्दू ही बरखिलाफ प्रार्थीगण होकर बहक अप्रार्थीगण साबित पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाला बिन्दू भी प्रार्थीण के विरूद्ध होकर अप्रार्थीगण के हक में ही साबित होता है।

इस प्रकार से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाला बिन्दू बहक अप्रार्थीगण पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज साबित पाये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शीर्षक निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा निर्णय लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(महेश चन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक मुण्डावर(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner